उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-18/2018/560जेएल/22-3-18-100(131)/2015
लखनऊ: दिनांक: 04 अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रूद्र प्रताप सिंह, निवासी जनपद-आजमगढ़ को कारागार विरोधी गतिविधियों के कारण जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 10-09-2015 द्वारा जिला कारागार, आजमगढ़ से जिला कारागार, जौनपुर तथा शासनादेश संख्या-312/2015/3705जेएल/22-2-15-100(131)/2015, दिनांक 26-11-2015 द्वारा प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार, जौनपुर से जिला कारागार, बरेली स्थानान्तरित किया गया। उक्त बंदी के विरूद्ध विचाराधीन वाद अ0सं0-182/2013 में प्रतिदिन सुनवाई के लिए उपस्थित रहने हेतु मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,आजमगढ़ द्वारा उसे जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध रखने के आदेश दिये गये जिसके अनुपालन में बंदी को जिला कारागार, आजमगढ़ में ही निरूद्ध रखा गया। उक्त वाद के निस्तारण के उपरान्त बंदी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह को जिला कारागार, बरेली स्थानान्तरित कर दिया गया, जहां वह वर्तमान में निरूद्ध है।

2- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 10-09-2015 एवं तत्क्रम में अधीक्षक, जिला कारागार, आजमगढ़ द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10-09-2015 तथा शासनादेश दिनांक 26-11-2015 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-9598/2016-ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य दायर की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 12-12-2017 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये :-

> "In view of the prayer as made above, the present writ petition is disposed of with a direction that in case the petitioner files a detailed representation before the authority concerned within a period of two months from today along with the certified copy of this order, the same may be heard and decided finally by means of a reasoned and speaking order, within a period of two months thereafter."

3- मा0 न्यायालय के उपर्युक्त आदेश की प्रमाणित प्रति सहित श्रीमती वन्दना सिंह पत्नी बंदी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह, निवासी-ग्राम-छपरा सुल्तानपुर,थाना-जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़ का दिनांक रहित प्रार्थना पत्र शासन में दिनांक 17-01-2018 को प्राप्त हुआ। जिस पर शासन के पत्र संख्या-107जेएल/22-3-18-100(131)/2015, दिनांक 02-02-2018 द्वारा महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ से आख्या मांगी गयी। महानिरीक्षक, कारागार की आख्या उनके पत्र संख्या-7337/सामा-1(3)/बं0स्था0ब0परि0/2018, दिनांक 26-02-2018 द्वारा प्राप्त हुई जिसमें अधीक्षक, जिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कारागार, बरेली एवं उप महानिरीक्षक कारागार, बरेली परिक्षेत्र, बरेली की सहमति के आधार पर बंदी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह को जिला कारागार, बरेली से जिला कारागार, गोरखपुर स्थानान्तरित किये जाने की संस्तुति की गयी।

4- मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-12-2017 के अनुपालन में प्रकरण के निस्तारण हेतु याची बंदी को उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने हेतु प्रमुख सचिव, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय कक्ष में दिनांक 23-03-2018 को सुनवाई बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया-

(1)श्री पी0के0मिश्र, महानिरीक्षक, कारागार, प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) श्री देवेन्द्र मोहन सिंह, एडवोकेट-याची बंदी के वकील।

(3) श्री प्रकाश सिंह, याची बंदी के साले।

5- याची बंदी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि बंदी के विरूद्ध वर्तमान में कुल 08 वाद विचाराधीन हैं, जिनमें से 01 वाद जनपद-गाजीपुर एवं 07 वाद जनपद-आजमगढ़ के मा0 न्यायालयों में विचाराधीन है। जनपद-बरेली की दूरी अधिक होने के कारण विचाराधीन वादों में निर्धारित तिथियों पर पेशी नहीं हो पा रही है। याची बंदी के साले, श्री प्रकाश सिंह द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि बंदी जनपद-आजमगढ़ का मूल निवासी है तथा उसकी रिश्तेदारियां जनपद-आजमगढ़, अम्बेडकरनगर एवं मऊ में हैं। बंदी ने 01 अन्य क्रिमिनल मिस0 स्टे एप्लीकेशन नं0-4743/2018-ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की थी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13-03-2018 को आदेश ("Having considered all the facts of the case, we deem it appropriate to dispose of this petition for writ by directing the jail authorities to produce the petitioner before the trial court as and when called. If the respondents fail to produce the petitioner before the trial court, it shall be open for him to prefer an application in this petition for get the same revived to press the prayer to transfer the petitioner a jail nearby district Azamgarh. The respondent no.2 is also directed to consider the case of the petitioner for transfer to a jail nearby district Azamgarh and he be transferred at the same place if no administrative exigency requires otherwise. The writ petition stands disposed of.") पारित किये गये हैं। उक्त आदेश को 'नॉट प्रेस' करते हुए पूर्व रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-12-2017 के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किये जाने का अनुरोध बंदी के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया।

6- अतएव उपर्युक्त तथ्यों, याची बंदी की पत्नी श्रीमती वन्दना सिंह के प्रत्यावेदन में उल्लिखित बिंदुओं एवं सुनवाई के समय बंदी के प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये बिंदुओं पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रूद्र प्रताप सिंह को जिला कारागार, बरेली से जिला कारागार, बलिया में स्थानान्तरित किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- तदनुसार क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-9598/2016-ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-12-2017 के अनुपालन में श्रीमती वन्दना सिंह पत्नी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह का दिनांक रहित प्रत्यावेदन एतदद्वारा निस्तारित किया जाता है।

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-18/2018/560जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4- जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बरेली/बलिया।
6- अधीक्षक, जिला कारागार, बरेली/बलिया।
7- बंदी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रूद्र प्रताप सिंह, **द्वारा-**अधीक्षक, जिला कारागार, बरेली।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।